

# 959  
ग्रामीण सेवा शिविर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कटजाना)

धारा अन्तर्गत - 136 प्रसं 549/25 दायर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.स.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>दिराजी का डोडा</u>	<u>88</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 /113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p>		<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>दिराजी काडोडा</u> पर <u>कटजाना</u> खतासं <u>88</u> में वर्तमान प्रविष्टि बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिलिपि पालनाथ:-			हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर प्रिस्तरावरी	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
			पटवार हत्का <u>कमिदा</u>	<u>53-0000</u>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल कटजाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कटजाना जिला-चित्तौडगढ

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन